भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछवाल, बीकानेर - 334006

26

पत्रांक 07(ii)06/CS/FP/Auction/2011/ 8373 दिनांक : 21.12.2018.

स्पीड पोस्ट

मैसर्स मघाराम S/o श्री कोजुराम
गांव-बम्ब्लू, हाल बिछवाल गांव,
बीकानेर-334006

विषय:- संस्थान विभिन्न प्रक्षेत्र से 500 नग खेजडी की कटाई-छटाई लुंग एवं सुखी लकड़ी इत्यादि की खुली नीलामी दिनांक.10.12.2018 बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि संस्थान विभिन्न प्रक्षेत्र से 500 नग खेजडी की कटाई-छटाई लुंग एवं सुखी लकड़ी इत्यादि की खुली नीलामी हेतु आप द्वारा लगायी गयी सबसे अधिक बोली रु.60,000/- (Rs. Sixty thousand only) को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार लिया गया है । उच्चतम निलामी राशि टीआर-5 क्रमांक 95 दिनांक 10.12.2018 रु.20,000/- एवं टीआर-5 क्रमांक 04 दिनांक 17.12.2018 रु.40,000/- द्वारा कुल रु.60,000/- जमा कर दिये गये है । बयाना राशि रु.5000/- भी टीआर-5 क्रमांक 96 दिनांक 10.12.2018 को जमा कर दी गयी है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क करते हुए दिनांक 26.12.2018 से 25.01.2019 तक की अवधि में कार्य पूरा कर लेवें । यह भी नोट करे कि कार्य अवधि को आगे बढाया नहीं जायेगा । कार्य पूरा करने की शर्ते निम्न प्रकार है:-

1. सब्जी प्रखण्ड खेजडी प्रखण्ड व संस्थान के मुख्य द्वार से द्वितीय द्वार के मध्य स्थित कलमी खेजडी के वृक्ष इस अनुबंध में सामिल नही होंगे|
2. लुंग,खेजड़ी की छड़ियो अनुबंधक की होगी, खेजड़ी की केवल पतली शाखाओ को ही काटना होगा | मोटी शाखाओ केओ काटना वर्जित होगा|
3. उपरोक्त दोनों कार्य संस्थान कार्य दिवस में ही करना होगा (रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में कार्य नही होगा) व सामान की निकासी गेट पास द्वारा (सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक) की जायेगी
4. उपरोक्त कार्यो के लिए संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नही करवाये जायेंगे।
5. संस्थान की संपत्ति पाइप लाइन, तार बंदी, पौधों ड्रीप प्रणाली व अन्य संसाधनो को अनुबंधक व उसके श्रमिकों द्वारा क्षतिग्रस्त करने पर भरपाइ अनुबंधक को करनी होगी।
6. संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को उपरोक्त कार्य में अनुबंधक द्वारा नही लगाया जायेगा। यदी किसी भी स्तर पर इसका उल्लंघन किया जाता है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी एवं ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
7. लुंग, खेजड़ी छडियां, को अनुसंधान प्रखण्डों से हटाकर अन्य रिक्त पडी भूमि पर एकत्र करना होगा। मुख्य सडकों के किनारे उपरोक्त सामग्री को एकत्र नही किया जायेगा।
8. प्राकृतिक आपदा, तेज आंधी, वर्षा, पाला पडना इत्यादी मौसमी परिस्थितियो से होने वाले नुकसान के लिए संस्थान उत्तरदायी नही होगा एवं किसी भी प्रकार की रियायत नही दी जायेगी।

Cont...2

9. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लकडियों लेते समय संस्थान की अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि नही पहुंचे। प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
10. संस्थान में अनुबंध पत्र स्वीकार करने के पश्चात कटाई-छटाई से प्राप्त लकडियों को कार्यादेश जारी होने के एक माह में ले जाना होगा। तत्पश्चात अनुबंधक (ठेकेदार) का कोई हक उन लकडियों पर नही रहेगा। इस अवधि में लकडियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अनुबंधक (ठेकेदार) का ही होगा।
11. बोली की राशि पर लगने वाले सभी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता (ठेकेदार) की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
12. लकडियॉ ले जाने हेतु भण्डारण रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही कराएगा।
13. लकडियॉ के कार्य संपादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता (अनुबंधक) की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
14. सफल बोलीदाता (अनुबंधक) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) लकडियॉ को ले जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (No dues Certificatte) जारी करने पर किया जायेगा। इस हेतु अनुबंधक (ठेकेदार) को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
15. उपरोक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नही करवाये जायेगे।
16. उपरोक्त लकडियॉ अनुबंधक को संस्थान फार्म से जहॉ पडी है वहॉ से उठानी होगी।

(कुलदीप पान्डे)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी फार्म, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. प्रभारी सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
4. प्रभारी सुरक्षा, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
5. सतर्कता अधिकारी, भाकृअनुप-केबापसके, वेजलपुर ।
6. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
7. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर-संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।
8. सूचना पट्ट, कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
9. सूचना पट्ट, प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी